

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अनु.नियुक्ति/2023-24/अलेसे-III/833 दिनांक :- 22.09.2023

श्री दिनेश कुमार राड़ पुत्र श्री मूल चन्द राड़
ग्राम पोस्ट-खेड़ीराड़ान, वाया-बलारौ तहसील-लक्ष्मणगढ़,
सीकर।

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्रमाण-पत्रों की जांच एवं चरित्र सत्यापन करवाने बाबत।

उरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको कनिष्ठ लेखाकार के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने हेतु प्रकरण इस विभाग में प्राप्त हुआ है। इस संबंध में नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न कार्यवाही वांछित है:-

1. आपके फॉर्म में अंकित तथ्यों का मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन।
2. आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त का जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सत्यापन।

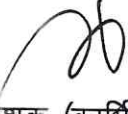
इस पत्र के साथ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन करवाने संबंधी प्रपत्र (अटेस्टेशन फॉर्म) की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है, जिनकी सम्पूर्ण पूर्ति कर, संलग्न सूची अनुसार समस्त मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के साथ दिनांक 27/09/23 को कार्यालय समय में निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, ब्लॉक-ए कमरा नं. 310 वित्त भवन, जनपथ जयपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, ताकि आपकी नियुक्ति संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उक्त कार्य हेतु उपस्थित होने के लिए आपको कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(कै.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अनु.नियुक्ति/2023-24/अलेसे-III/833 दिनांक :- 22.09.2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर, सीकर।
2. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, नीमकाथाना, सीकर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)

वांछित प्रमाण-पत्र/स्वघोषणा पत्र

1.	अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज।
2.	जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सैकण्डरी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (मूल)
3.	दहेज नहीं लेने संबंधी स्वघोषणा पत्र।
4.	विवाह होने की स्थिति में:— 1. मूल विवाह प्रमाण पत्र। 2. दो से अधिक संतान नहीं होने का स्वघोषणा पत्र। 3. जीवित संतान के जन्म प्रमाण पत्र।
5.	R.S.C.I.T कोर्स का मूल प्रमाण पत्र।
6.	मूल निवास प्रमाण पत्र (मूल)
7.	जाति प्रमाण पत्र (मूल)
8.	यदि विकलांग हो तो विकलांग प्रमाण पत्र।
9.	अटेस्टेशन फॉर्म (पाँच प्रातियों में)।
10.	धूम्रपान तथा मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा-पत्र।
11.	आधार कार्ड।
12.	चरित्र प्रमाण-पत्र (दो)
13.	अन्तिम शिक्षण संस्थान के संस्था प्रमुख द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र।
14.	कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13) कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसरण में शपथ-पत्र